खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री संजीव कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री संजीव कुमार उपस्थित।

13.07.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में
अवर सचिव श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद श्री संजीव कुमार, (कोटि क्रमांक–180/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, चौसा, मधेपुरा सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णियाँ के द्वारा दायर किया गया है। यह वाद बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपीलाथी द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–3176/खाद्य, पटना दिनांक–21.11.2025 में संसूचित एक (01) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के दण्ड के विरूद्ध अभ्यावेदन समर्पित किया गया। विभाग द्वारा लगाये गये आरोप में लाभुकों को समय–समय पर निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का वितरण नहीं होने एवं खाद्यान्न वितरण एवं स्टॉक संधारण के मामले में अनियमितता के आधार पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का आरोप लगाया गया। साक्ष्य स्वरूप शून्य कार्यालय दिवस निरीक्षण प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह में कुल–11 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना, 29 लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण किया जाना, 19 लाभुकों को निःकृष्ट गुणवता का खाद्यान्न वितरण किया जाना तथा 40 स्टॉक में अंतर संबंधित प्रतिवेदन आरोप के समर्थन में संलग्न किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में बताया गया है कि उनका पदस्थापन वास्तविक रूप में चौसा प्रखंड में था। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा उन्हें प्रखंड–पुरैनी एवं आलमनगर प्रखंड का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। उनके द्वारा यह बताया गया कि शून्य कार्यालय दिवस 29.08.2025 से दिनांक–12.09.2025 (निलंबन होने से पूर्व तक) की अवधि में तीनों प्रखंड के कुल–130 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का निरीक्षण, भंडार सत्यापन एवं संबंधित पोषण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के प्रतिक्रिया प्राप्त कर जांच स्थल पर परख एप में उसकी ऑनलाईन प्रविष्टि की गयी। चुनाव कार्य में भी इनकी डिप्टी विशेष गहण पुनरीक्षण अभियान में बी०एल०ओ० सुपरवाईजर के रूप में लगी हुई थी। तत्पश्चात् सेक्टर पदाधिकारी के रूप में भी इन्हें चुनाव कार्य में लगाया गया था।

उनके द्वारा बताया गया कि जहाँ तक 11 उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं होने का आरोप है यह जांच सितम्बर माह में होने के कारण ऐसा परिलक्षित हुआ है। किसी भी महीने का खाद्यान्न वितरण का चक्र सामान्यतः माह के अंत तक किया जाना होता है। वस्तुतः प्रश्नांतर्गत जांच के उपरान्त 11 लाभुकों को सितम्बर माह के अंत तक बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन कराते हुए खाद्यान्न का लाभ उपलब्ध कराया गया था।

दूसरा आरोप जो 29 उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण किये जाने का है, उनके द्वारा यह बतलाया गया कि इस प्रकार के अनियमितता पाये जाने पर उनके द्वारा पूर्व में भी अनुज्ञापन पदाधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया जाता रहा है। इसके अलावा उन्नीस (19) उपभोक्ताओं को खराब गुणवता के खाद्यान्न वितरण किये जाने के विषय में बताया गया कि इस विषय पर उनके द्वारा पूर्व में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया था।

जहाँ तक 40 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के गोदाम में भंडारित खाद्यान्न एवं पॉश मशीन पर ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान्न में अंतर का आरोप है, अरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा सटीक नाप–तौल हेतु किसी यंत्र या उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण exact मात्रा/भार के खाद्यान्न उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। विक्रेताओं के गोदाम में भंडारित खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान बोरों की गिनती के उपरान्त ही लगाया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 27 मामले उनमें ऐसे थे जहां पॉश के प्रदर्शित ऑनलाइन खाद्यान्न एवं विक्रेता के गोदाम में भौतिक रूप से भंडारित खाद्यान्न में किलो ग्राम मात्र का अंतर है। बाकि विक्रेताओं के विरूद्ध उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा को भी अनुरोध किया गया है। उनेक द्वारा यह बताया गया कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था इसी कारण से बनायी गयी है कि अनियमिता में सुधार हो सके एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा सके।

उक्त तथ्यों एवं बचाव पक्ष के अभ्यावेदन में वर्णित तर्क के समीक्षोपरांत यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रश्नगत् आरोप शून्य कार्यालय दिवस के दौरान स्वयं के द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गठित किया गया। उनके द्वारा कई अन्य दृष्टांत दिये गये जिनमें उन्होंने जाचोपरांत त्रुटि पाये जाने पर कई जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुशंसा किया है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–27 (2) 'ग' को दृष्टिपथ पर रखते हुये आरोप के गंभीरता एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा दिये गये बचाव तथ्य के आलोक में समानुपातिक दंड के सिद्धांत के तहत् ज्ञापांक–3176 खाद्य, पटना/दिनांक–21.11.2025 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को सम्परिवर्तित करते हुए श्री संजीव कुमार, (कोटि क्रमांक–180/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, चौसा, मधेपुरा, सम्प्रति रूपौली, पूर्णियाँ को चेतवानी का दण्ड दिया जाता है तथा भविष्य में सचेष्ट रहने का हिदायत दी जाती है।

तदोपरांत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–I)– 4050 खाद्य, पटना / दिनांक– 20/07/2026

प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं धमदाहा, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री संजीव कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–180 / 2024), आपूर्ति निरीक्षक, रूपौली, पूर्णिया, E-Mail ID: hjpbaj85@gmail.com, Mobile No. 7779818068 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित रंजन)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सुपौल)–05 / 2017– 4050 खाद्य, पटना / दिनांक– 20/07/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव ।